अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक 2102 /रा0

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
माण्डू।

रामगढ़, दिनांक 08/12/18

विषय : विविध (संदेहात्मक) वाद संख्या–29/2010–11 राज्य बनाम संजय सिंह से संबंधित मूल अभिलेख अनुशंसा सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस करने के संबंध में।

प्रसंग : प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग का पत्रांक–1654/रा0, दिनांक–29.10.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विविध (संदेहात्मक) वाद संख्या–29/2010–11 राज्य बनाम संजय सिंह से संबंधित मूल अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु वापस करते हुए राजस्व विभागीय पत्रांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 के तहत कार्रवाई करते हुए BLR ACT 1950 की धारा 4(H) के तहत् अनुशंसा सहित मूल अभिलेख उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विषयगत अभिलेख में अंचल स्तर से BLR ACT 1950 की धारा 4(H) के तहत् अनुशंसा नहीं किया गया है।

अतः विविध (संदेहात्मक) वाद संख्या–29/2010–11 राज्य बनाम संजय सिंह से संबंधित मूल अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु वापस करते हुए निदेश दिया जाता है कि राजस्व विभागीय पत्रांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 के तहत कार्रवाई करते हुए BLR ACT 1950 की धारा 4(H) के तहत् अनुशंसा सहित मूल अभिलेख उचित माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

8/12/18
06/12/18

Scanned with CamScanner

आयुक्त कार्यालय,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग

पत्रांक—10—02 / 2017 1654 / रा0

प्रेषक,
सुरेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0
प्रमण्डलीय आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग।

सेवा में,
उपायुक्त,
रामगढ़।

हजारीबाग, दिनांक 29.10. 2018.

विषय :— विविध (संदेहात्मक) वाद संख्या 29 / 2010—11 राज्य बनाम संजय सिंह वगैरह से संबंधित मूल अभिलेख अनुशंसा सहित अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजने के संबंध में।

प्रसंग :— आपका पत्रांक 1675 / रा0, दिनांक 27.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विविध (संदेहात्मक) वाद संख्या 29 / 2010—11 राज्य बनाम संजय सिंह वगैरह से संबंधित मूल अभिलेख अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्राप्त है।

राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 2074 / रा0, दिनांक 13.05.2016 की कंडिका 'घ' में यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्व विभागीय परिपत्र सं0 914 / रा0, दिनांक 09.12.98 में निहित दिशा—निर्देश के आलोक में जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जाय। इस प्रासंगिक पत्र के कंडिका '4' में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी / पदाधिकारियों द्वारा बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश जमाबंदी रद्द करने का अधिकार उपायुक्त को दिया गया है। इसी प्रकार कंडिका '5' में बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(H) के तहत उपायुक्त को विधिवत् जांचोपरान्त अंतिम आदेश पारित करने का आदेश है। तदोपरान्त सम्पुष्टि हेतु आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाना है।

प्रश्नगत अभिलेख विविध वाद संख्या 29 / 2010—11 के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वाद की सुनवाई विभागीय पत्र 914 / रा0, दिनांक 09.12.98 के कंडिका 04 के आलोक में की गई है या कंडिका 05 के आलोक में की गई है। दोनो परिस्थिति में उपायुक्त द्वारा आदेश पारित किया जाना है और यदि B.L.R. Act. 1950 की धारा 4(H) के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है, तभी उपायुक्त के द्वारा विधिवत् आदेश पारित करने के उपरान्त आयुक्त के माध्यम से इसकी सम्पुष्टि हेतु राज्य सरकार को भेजा जाना है। प्रश्नगत वाद में आपके द्वारा अवैध जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा किया गया है, जो उक्त पत्र में दिए गए दिशा—निर्देश के विपरीत है।

अतः अनुरोध है कि दोनों में से किसी भी स्थिति में आदेश पारित किया जाय और यदि यह मामला B.L.R. Act. 1950 की धारा 4(H) के अन्तर्गत की गई है तो इसका उल्लेख अभिलेख में की जाय एवं तदोपरान्त इसकी सम्पुष्टि हेतु अभिलेख भेजने की कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक : अभिलेख सं0 29 / 2010—11 मूल में।

विश्वासभाजन

(सुरेन्द्र कुमार)
प्रमण्डलीय आयुक्त